आयोजनागत
संख्या–803/XXIV(1)/2006–39/2006टीसी

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद,
मयूर विहार देहरादून

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 07 दिसम्बर 2006

विषयः– **मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुकिंग कास्ट, अवस्थापना अन्तराल एवं भोजन माताओं/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–रापनि/1324/मध्या0भो0यो0/2006–07 दिनांक 14.9.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजनान्तर्गत रू0 1.50 प्रति विद्यार्थी प्रति विद्यालय दिवस और राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दिये जा रहे रू0 1.00 प्रति विद्यार्थी प्रति विद्यालय को सहायता को यथावत् रखते हुए इस योजना में कुल रू0 2.50 प्रति विद्यार्थी प्रति विद्यालय दिवस के अनुसार किये जाने, अवस्थापना कार्यो तथा भोजन माताओं एवं भोजन सहायिकाओं को दिये जाने वाले प्रतिमाह मानदेय को दुगना किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में विद्यालयों में पका– पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने संबंधी योजनान्तर्गत कुल रू0 1327.24 लाख (रूपये तेरह करोड़ सत्ताईस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह स्वीकृति इस योजनान्तर्गत, पूर्व में शासनादेश संख्या–402/XXIV(1)/2006–64/2005 दिनांक 4.5.2006 में स्वीकृति धनराशि रू0 341526 हजार के अतिरिक्त है।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत् निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाय।

(4) आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्याधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(5) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये। उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(7) अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान संबंधी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलबध कराया जान सुनिश्चित किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202 –सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0102–विद्यालयों में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता–आयोजनागत की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–980/वि0 अनु0–3/2006, दिनांक 05.12.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
4. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उत्तरांचल (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।